कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Phone No. 07706-241445 Email Id : Cmogariaband@yahoo.in

क्रमांक / स्था.अवि. / भर्ती / 2021 / 498 गरियाबंद दिनांक 07-08-2021

–:: आदेश ::–

छत्तीसगढ शासन,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय महानदी भवन,राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम–2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0व्दारा विज्ञापित विज्ञापन कमांक स्थापना नर्सिंग / 170 / 2021 / 229 नवा रायपुर दिनांक 09.03.2021 व्दारा जिला स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका / बहुउदेशीय कार्यकर्ता (महिला) तृतीय श्रेणी हेतु प्रशिक्षित मितानिनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पद पूर्ति हेतु आमंत्रित आन–लाईन आवेदन दिनांक 31.03.2021 तक के अनुसार एवं चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका (महिला) के पद पर छ0ग0वेतन पुनरीक्षण नियम–2017,वेतन मेट्रिक्स वेतनमान (लेबल–05) 5200–20200 ग्रेड वेतन 2200 पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21 / 2020 अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख कालम में दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :–

कं0	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वर्तमान पता	पदस्थापना स्थल
		अनारक्षित संवर्ग		
1	जालेन्द्री सोनी	श्री बलराम सोनी	ग्राम एवं पो0बासीन तहसील राजिम जिला–गरियाबंद छ.ग.	उप स्वा.केंद्र नांगलदेही विकासखंड देवभोग जिला गरियाबंद छ.ग.
2	मंजू वर्मा	श्री दीपक कुमार वर्मा	ग्राम एवं पो0 पोड विकासखंड अभनपुर जिला–रायपुर छ.ग.	उप स्वा.केंद्र जांगड़ा विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद छ.ग.
3	सावित्री साहु	श्री लोकेश्वर साहु	ग्राम–ढेलकाबोड पो.गोविंदपुर विकासखंड एवं जिला कांकेर	उप स्वा.केंद्र तौरेंगा विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद छ.ग.
4	रश्मि सिन्हा	श्री राधेश्याम सिन्हा	ग्राम एवं पो0मोहंदी तहसील मगरलोड जिला–धमतरी छ.ग	उप स्वा.केंद्र पेण्डरा विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद छ.ग.
		अनुसूचित जनजाति संवर्ग		
5	पुष्पा मिंज	श्री लीलाधर मिंज	ग्राम एवं पो0सुखरापारा थाना पत्थलगांव जिला–जशपुर छ.ग.	उप स्वा.केंद्र नवाडीह विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद छ.ग.
6	संतोषी कंवर	श्री हरि सिंग	ग्राम–रूवाड थाना पिपरछेडी जिला गरियाबंद छ.ग.	उप स्वा.केंद्र गोलामाल विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद छ.ग.
7	प्रमिला मण्डावी	श्री हरनारायण मंडावी	ग्राम चमारराय टोलागांव पो. जंगलपुर जिला राजनांदगांव छग	उप स्वा.केंद्र सुपेबेडा विकासखंड देवभोग जिला गरियाबंद छ.ग.
8	चंद्रावती पिस्दा	स्व0श्री जैन सिंह पिस्दा	ग्राम–आमागांव तह.अंतागढ जिला उत्त्र बस्तर कांकेर छ.ग.	उप स्वा.केंद्र झरगॉव विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद छ.ग.
		अनुसूचित जाति संवर्ग		
9	शिप्रा कामलें	श्री योगेश कामले	म0नं0–सी–37 वार्ड नं0–16 कर्मचारी नगर दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग.	उप स्वा.केंद्र झाखरपारा विकासखंड देवभोग जिला गरियाबंद छ.ग.
		अपिव संवर्ग		
10	लता बाई	श्री लोकनाथ साहु	म0नं0–88 वार्ड नं0–6 हथखोज पो0परसदा जोशी तह.राजिम जिला गरियाबंद छ.ग.	उप स्वा.केंद्र कनसिंघी विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद छ.ग.
11	विजयलक्ष्मी पटेल	श्री खेलूराम पटेल	ग्राम सिवनीखुर्द पो0बर्न जिला–धमतरी छ.ग	प्रा स्वा.केंद्र पिपरछेडी विकासखंड गरियाबंद, जिला गरियाबंद छ.ग.

2/– उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

01 चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के तिथि से 07 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला–गरियाबंद में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा,अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

02 यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय,बिलासपुर छ0ग0व्दारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012, एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

03 अस्थायी नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्धस्थायी) सेवा नियम–1960 के नियम–12 अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष व्दारा एक माह के नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तें देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगें तो यह समझा जावेगा कि उन्होनें अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा ।

04 चयनित अभ्यार्थियों व्दारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तें का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोडने पर उक्त शर्त कंडिका कमांक 03 के अंतर्गत देय राशि उनके भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

05 चयनित अभ्यार्थी को भारत के संविधान के प्रति कर्त्तव्य परायणता एवं निष्ठा का शपथ लेना होगा एवं किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना,अस्पृश्यता का व्यवहार करना,सोशल मिडीया में विवादित एवं अप्रिय व्यवहार करना प्रतिबंधित होगा ।

06 उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पुलिस वेरिफिकेशन) समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है । ऐसी स्थिति में जिन अभ्यार्थियों को चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है,उन्हें शासकीय सेवा के लिये अनुपयुक्त मानते हुये उनकी नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त की जावेगी तथा उनके विरूव्द विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

07 चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं दस्तावेजों की दो अभि–प्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

08 चयनित अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड सें स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । जिला मेडिकल बोर्ड व्दारा शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।

09 चयनित अभ्यार्थियों को छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम'1965 के नियमों तथा शासन व्दारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा ।

10 चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश के पालन पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

11 चयनित अभ्यार्थियों को भर्ती नियम एवं विज्ञापन में प्रकाशित नियम व शर्तो के अनुरूप प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अर्हता एवं अन्य प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । दस्तावेज फर्जी अथवा झूठा पाये जाने पर,धोखाधडी का प्रकरण मानते हुये सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी । इस हेतु अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अंडरटेंकिंग (शपथपत्र) 50 रूप्यें के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में देना अनिवार्य होगा ।

12 चयनित अभ्यार्थियों की वरिष्ठता अनंतिम चयन सूची के मेरिट अनुसार निर्धारित होगी ।

13 यह नियुक्ति छ0ग0सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–8(1) संशोधित नियम 28 जुलाई 2020 अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी,परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि बढाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

14 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों/शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा । संशोधित छ0ग0मूलभूत नियम–22 सी (1) अनुसार प्रथम,व्दितीय एवं तृतीय वर्ष कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70 प्रतिशत,80 प्रतिशत,एवं 90 प्रतिशत राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा ।

15 चयनित अभ्यार्थी को पदस्थापना स्थल में न्यूनतम तीन वर्ष तक नियमित सेवायें देना अनिवार्य होगा ।

16 चयनित अभ्यार्थियों को निर्धारित मुख्यालय में रहकर सेवायें देना अनिवार्य होगा,किसी भी प्रकार उदासीनता बरते जाने पर नियमानुसार सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

17 चयनित अभ्यार्थियों के विरूव्द किसी भी प्रकार के कदाचार,अनुशासन हीनता,कार्य असंतोष प्रद पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

18 आदेश प्रसारित होने के पश्चात पदस्थापना स्थल में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा ।

19 कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटिवंश गलत नियुक्ति हो जाती है तो संबंधित अभ्यार्थी को सेवायें नियमानुसार समाप्त की जा सकेगी ।

20 नियुक्ति /पदस्थापना की विरूव्द यदि किसी अभ्यार्थी का आवेदक व्दारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर किया जाता है तो नियुक्ति संबंधी कार्यवाही माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा ।

21 उक्त आदेश में किसी भी प्रकार के लिपिकीय त्रुटि होने पर नियोक्ताकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का निर्णय अंतिम मान्य होगा ।

22 उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।

(कलेक्टर महोदय गरियाबंद व्दारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक/स्था./भर्ती/2020/ 5076 गरियाबंद, दिनांक 07-08-2021

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव,छ0ग0शासन,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर की सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. आयुक्त,संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. संचालक,संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,छ0ग0रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. कलेक्टर, जिला गरियाबंद की ओर सादर सूचनार्थ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग, पुराना डी.के.एस परिसर भवन रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधिक्षक,जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. जिला कोषालय अधिकारी,जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक,जिला चिकित्सालय गरियाबंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
9. खंड चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र..जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सर्व चयनित अभ्यार्थियों को सूचनार्थ कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईड से डाउनलोड कर सात दिवस के भीतर इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति देवें ।
11. कार्यालयीन प्रति।

07.08.21

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)